संख्या-2/2024/आई0/492050/चौरासी-1-2024

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 10फरवरी,2024

विषय:- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान,उ0 प्र0,लखनऊ के कार्यालय भवन की मरम्मत/ नवीनीकरण (रेनोवेशन) हेतु कार्यदायी संस्था नामित करते हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-210/निविमावि-8 कार्यालय भवन-नजारत/21,दिनांक 20 जून,2023 एवं पत्र संख्या-15/निविमावि-8 भवन-नजारत/21, दिनांक 11 जनवरी,2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि. तथा यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0 द्वारा भिन्न भिन्न लागत के प्रस्तुत किये गये आगणनों को उपलब्ध कराते हुए अपने कार्यालय भवन(कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग,07 बालाकदर रोड़, लखनऊ) के मरम्मत/ नवीनीकरण (रेनोवेशन) का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्त कार्यदायी संस्थाओं में से किसी एक संस्था को नामित करते हुए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध शासन से किया गया था।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोंपरान्त कार्यालय भवन(कार्यालय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, 07 बालाकदर रोड़, लखनऊ) के मरम्मत/ नवीनीकरण (रेनोवेशन) का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0,उ0प्र0,लखनऊ जिसके द्वारा प्रस्तुत आगणन की लागत रू0-194.39 लाख है,को नामित किया जाता है।प्रश्नगत प्रयोजन हेतु नामित उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन रू0-194.39 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 राजस्व लेखाशीर्षक "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय की मानक मद 29-अनुरक्षण" में उपलब्ध प्रावधान रू0-100 लाख(रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि जो शासनादेश संख्या-3/2023/आई0/303432/चौरासी-1-2023-001-271-2023, दिनांक18 अप्रैल,2023 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी है, की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार प्रदान की जाती है:-

(1) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा उक्त धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की होगी।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सेन्टेज चार्जेज, जी0एस0टी0 (प्रतिशत प्रभार) (यदि लागू हो तो) निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(8) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा कार्य समय से पूर्ण हो जाये इसका सतत् निरीक्षण किया जायेगा।

(9) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप समय से पूर्ण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान अनुदान सं0-21 राजस्व लेखाशीर्षक "3475-00-106-00-03-29" के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या-2 /2024/आई0/492050(1)/चौरासी-1-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
6- परियोजना प्रबन्धक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0,कार्यालय परियोजना प्रबन्धक यूनिट-8, इन्द्रपुरी निकट पुलिस चौकी,भोला खेड़ा, लखनऊ-226023 ।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
8- निदेशक वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in